Volume: 2 Issue: 9 Pages: 36-39

शिक्षा एवं मानवाधिकार जागरूकता

[*1] **Dr. Sunil Kumar Pandey**

[*1] Assistant Professor, Faculty of Education, Maharana Pratap Government Post Graduate College, Hardoi, Uttar Pradesh, India.

Article Info.
E-ISSN: 2583-6528
Impact Factor (SJIF): 5.231
Available online:
www.alladvancejournal.com

Received: 16/Aug/2023
Accepted: 20/Sep/2023

***Corresponding Author**
Dr. Sunil Kumar Pandey
Assistant Professor, Faculty of Education, Maharana Pratap Government Post Graduate College, Hardoi, Uttar Pradesh, India.

सारांश:
प्रत्येक व्यक्ति को मानव की भाँति जीवन जीने, अपने व्यक्तित्व का विकास करने तथा अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक व आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कुछ नैसर्गिक अधिकारों का होना आवश्यक होता है, जिनको हम मानव अधिकार कहते हैं। ये अधिकार सभी मनुष्यों को जाति, प्रजाति, वर्ग व धर्म के आधार पर भेदभाव किये, बिना समान रूप से मिलना चाहिए। नागरिकों को इन अधिकारों से वंचित करना मानवाधिकारों का उल्लघंन कहा जाता है। मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया है। इस चार्टर के अनुबंधों को सभी सदस्य देशों को मानना जरूरी होता है। इसके साथ ही कई राष्ट्रों ने अपने नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अनेक विधिक प्रावधान भी लागू कियें हैं तथा आयोगों व संस्थाओं की स्थापना की है। मानव अधिकारों से संबन्धित इन कानूनी उपबंधों, प्रावधानों, नागरिकों व संस्थाओं का ज्ञान तथा इन अधिकारों के हनन के प्रति प्रतिरोध की भवना मानवाधिकर जागरूकता कहलाती है।

मुख्य शब्द: मानवाधिकार जागरूकता, लोकतंत्र, न्याय, शिक्षक, सामाजिक ।

प्रस्तावना:

मनुष्य प्रारम्भ से ही विवेकशील प्राणी रहा है। उसने बुद्धि के प्रयोग द्वारा इस जगत के अन्य प्राणियों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया हैं। प्रकारांतर में उसने अपने से भिन्न मानव समुदायों, वर्गों व प्रजातियों पर भी आधिपत्य स्थापित कर, उनकों मानव अधिकारों से वंचित कर अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करता रहा है। मानव अधिकार किसी भी मनुष्य के वह अधिकार होते हैं जिसके बिना वह एक मानव की भाँति जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। यह एक नैसर्गिक अधिकार है, जिसमें स्वतन्त्रता, समानता, किसी भी प्रकार का शोषण रहित व गरिमापूर्ण जीवन यापन के अधिकार आते हैं। इन अधिकारों की वजह से ही वह समाज में गरिमा व सम्मान के साथ अपने व्यक्तित्व का उच्चतम स्तर तक विकास कर सकने में समर्थ हो पाता है। प्रत्येक राष्ट्र व समाज में अनेक प्रकार के वर्ग, प्रजाति, धार्मिक व सामाजिक समूह होते हैं। मनुष्य में नस्ल जाति, वर्ग, लिंग आदि के आधर पर भेदभाव करना, असमानता का व्यवहार करना या उनके विकास के अवसरों को कुंद करना मानव अधिकारों के वंचन की परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। इन मानवाधिकारों की रक्षा व संरक्षण के लिए कई अंतरराष्ट्रीय संथाओं द्वारा अनेक प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। हमारे देश के संविधान ने भी छः प्रकार के मूल अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान किया है। इन अधिकारों के संरक्षक के रूप में उच्च तथा उच्चतम न्यायालय विद्यमान है। मानव अधिकारों की स्थिति में सुधार लाने, उनके अपवंचन को रोकने तथा मानवाधिकार जागरूकता के प्रसार हेतु सन 1993 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गयी। समतामूलक, न्यायसंगत तथा समावेशी समाज की स्थापना के लिए मानवधिकारों को सुनिश्चित करना परम् आवश्यक है। मानव अधिकारों का ज्ञान व जागरूकता को बढ़ाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस सन्दर्भ में शिक्षक देश के भावी कर्णधारों के मध्य मानवाधिकारों के बारे में शिक्षित करने तथा जागरूकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण व सार्थक भूमिका निभातें हैं। प्रस्तुत शोध लेख में मानवाधिकार जागरूकता को बढ़ाने में शिक्षा एवं शिक्षकों की भूमिका, अपनायी जा सकने वाली कार्यविधियाँ तथा उपस्थित चुनौतियों सांगोपांग विवेचन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

1. मानवाधिकार जागरूकता के अवधारणा को स्पष्ट करना।
2. मानवाधिकार जागरूकता के महत्व की विवेचना करना।
3. मानवाधिकार जागरूकता के विकास में शिक्षा एवं शिक्षकों की भूमिका, अपनायी जा सकने वाली कार्यप्रिणालियाँ तथा उपस्थित चुनौतियों का विश्लेषण करना।

संबन्धित साहित्य का सर्वेक्षण

शर्मा बी. (2022), ने अपने शोध पत्र जिसका शार्षक 'मानवाधिकार शिक्षा के आलोक में शिक्षकों की मानवाधिकार संचेतना का अध्ययन' था। लेखक ने अपने शोध लेख में मनवाधिकार शिक्षा के विभिन्न वर्गों जैसे 'मानवाधिकार शिक्षा के सिद्वान्त' में उपविभाजनों के साथ मानवाधिकार शिक्षा का सिंहावलोकन किया है। लेखक के अनुसार मानवाधिकार शिक्षा का क्रियान्वयन मानवाधिकार शिक्षा के सिद्वान्तों का परिणाम है। मानवाधिकार शिक्षा का आधार व्यापक साहित्य, संस्कृति, शिक्षा प्रणाली, कक्षा शिक्षण, पाठ्यचर्या विश्लेषण, पाठ्यपुस्तकों तथा युवाओं के विकास वर निर्भर होनी चाहिए।

गजपाल एवं चौबे (2020), ने बी0 एड0 प्रशिक्षणार्थियों का मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन महाविद्यालयों से चयनित कुल 357 प्रतिदर्श इकाइयों से संकलित आँकड़ों विश्लेषण द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि बी0 एड0 प्रशिक्षणार्थिओं में लिंग व विषय के आधार पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है ।

तिवारी अहिल्या (2019), ने अपने शोधपरक निबंध , मानवाधिकारएक संक्षिप्त जानकारी , में यह निष्कर्ष निकाला है कि मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारहैं । इन अधिकारों के संरक्षण व संवर्धन के लिए विधिपरक उपायों के साथ नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना नितांत जरूरी है। मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रमुख कारणों में इसके प्रति जागरूकता में कमी होना है ।

यादव अजीत (2018), ने अपने शोध, विद्यार्थियों में मानवाधिकार जागरूकता का तुलनात्मक विश्लेषण, में वर्णनात्मक सर्वेक्षण अनुसंधान विधि का अनुप्रयोग किया । स्तरीकृत रैंडम न्यादर्शन विधि द्वारा आगरा विश्वविद्यालय के 200 विद्यार्थियों का चयन किया, स्वनिर्मित मानवाधिकार मापनी को प्रतिदर्श इकाइयों पर प्रशासित कर शोध आंकड़ों का संकलन कर जेड परीक्षण के प्रयोग द्वारा उनका विश्लेषण करके यह निष्कर्ष निकाला कि लिंग व विषय वर्ग के आधार पर विद्यार्थियों के मानवाधिकार जागरूकता में सार्थक अंतर है । छात्राओं में छात्रों की अपेक्षा मानवाधिकार जागरूकता अधिक थी , इसी प्रकार कला वर्ग के विद्यार्थी विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की तुलना में मानवाधिकारों के प्रति अधिक सजग पाये गए ।

शर्मा मनीषा (2017), ने अपने शोध पत्र, शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन,में वर्णनात्मक अनुसंधान विधि का अनुप्रयोग कर माध्यमिक शिक्षा स्तरीय 120 शिक्षकों के मानवाधिकार जागरूकता का अध्ययन किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि सरकारी व निजी माध्यमिक शिक्षकों की मानवाधिकार जागरूकता समान है।

केदारनाथ (2016), ने अपने शोध पत्र जिसका शीर्षक, मानवाधिकार व मीडिया एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, था से यह निष्कर्ष निकाला कि मानवाधिकार उल्लंघन कि घटनाओं को समाचार पत्रों द्वारा व्यापक रूप से उजागर किया गया है, अतः मानवाधिकार जागरूकता में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। मीडिया ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर उनको पाने की ललक पैदा की है। 1

विवेचना–

मनुष्य की सदा से ही यह अपेक्षा रही है कि उसके सर्वांगीण विकास के लिए उसे अनुकूल वातावरण व परिस्थितिजन्य दशाएँ उपलभ्ध हों। समाज में प्रत्येक नागरिक शोषण, दमन व भेद भाव से मुक्त हो, उसको विकास के लिए किसी भी अवसर से वंचित न होना पड़े तथा गरिमापूर्ण ढंग से जीवन का निर्वाह कर सके। इन सभी अधिकारों, दशाओं व परिस्थितियों के मांग को भारतीय संविधान तथा भारत राज्य स्वीकार करता है। तदनुक्रम में भारतीय संविधान में व्यापक मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। राज्य भी इन अधिकारों से अपने नागरिकों को वंचित नहीं कर सकता है। विश्व में मानवाधिकारों की व्यापक स्थापना के उद्देश्य से मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र दस दिसंबर सन 1948 को जारी किया गया, इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष दस दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। जिस दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार चार्टर की उद्घोषणा की गयी उसी कालक्रम में भारतीय संविधान की निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मानव अधिकारों के आधारभूत तत्वों का समावेश है। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किये गये अनेक अनुच्छेद तथा उपबन्ध मानवाधिकारों के स्थापना के द्योतक हैं तथा इससे संविधान का मानवाधिकार सम्बन्धी दर्शन परिलक्षित होता है। मानवाधिकारों को और बेहतर ढंग से स्थापित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने मानवाधिकार अधिनियम 1993 के अंतर्गत 12 अक्तूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया। यह आयोग सामान्यतया मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को स्वयं या नागरिक–सामाजिक संगठनों या मीडिया के माध्यम से जाँच करवाकर उपयुक्त निर्णय लेता है तथा समुचित कार्यवाही करता है। यह मानवाधिकार जागरूकता में वृद्धि का ही परिणाम है कि आयोग के सम्मुख मानवाधिकार हनन सम्बन्धी मामले अत्यधिक संख्या में आने लगे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रति माह मानवाधिकार सम्बन्धी अपने क्रिया–कलापों को प्रकाशित करवाता है तथा जन जागरूकता लाने का प्रयास करता है।

शिक्षा, शिक्षक तथा मानवाधिकार जागरूकता में परस्पर अन्योन्याश्रित संबन्ध होता है, क्योकि वे समन्वित रूप से मानव अधिकारों के प्रचार–प्रसार और संरक्षण में योगदान करते हैं। शिक्षा ज्ञान, मूल्यों तथा अभिवृत्तियों को विकसित करने में एक साधन का कार्य करती है, जबकि शिक्षक इस शिक्षा को प्रदान करने में तथा भावी पीढ़ियों के मन–मष्तिष्क को वांछित आकार व दिशा देनें में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करतें हैं। शिक्षा मानवाधिकारों के सिद्वान्तों व मूल्यों के बारे में ज्ञान, अवबोध, सम्मान तथा आदर का भाव प्रदान करके मानव अधिकार जागरूकता के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करती है। शिक्षा हमें उन आवश्यक गुणों से सज्जित करती है जिससे कि हम प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार व गरिमा की पहचान करने तथा यथोचित आदर देने में सक्षम हो पाते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता तथा समाज में मानवाधिकारों को बनाये रखने तथा बढ़ावा देने के महत्व को समझता है। सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली के भीतर शिक्षक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में कार्य करके मानवाधिकार जागरूकता की अभिवृद्धि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनमें विद्यार्थियों के दृष्टिकोण परिदृश्य, व्यवहार तथा मनोवृत्तियों को समुवित व वांछित आकार देने की क्षमता होती है, अस्तु यह कहना न होगा कि मानवाधिकार जागरूकता के भावी प्रक्षेपपथ के निर्धारण में उनकी सार्थक भूमिका होती है।

मानवाधिकार जागरूकता के मार्ग की प्रमुख बाधाएँ –

भारत में मानवाधिकार जागरूकता के विकास के मार्ग में अभी भी अनेक चुनौतियाँ हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख का उल्लेख निम्नलिखित पंक्तियों में किया गया हैं–

सीमित संवेदनशीलता एवं संचेतनाः– भारत में अभी भी शिक्षकों का मानवाधिकरों की अवधारणा के प्रति व्यापक ज्ञान व अनुभव अभाव पाया जाता है तथा इसके महत्व के बारे में संचेतना की कमी दृष्टिगोचित होती है। लक्ष्यित कार्यक्रमों के द्वारा ज्ञान के इस दरार को पाटना आवश्यक है।

सांस्कृतिक व सामाजिक बाधाएँः– अत्यन्त गहराई तक जड़ें जमा चुकीं सामाजिक–सांस्कृतिक पक्षपात, पूर्वाग्रह व विभेदी मानदण्ड मानवाधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न करतें है। शिक्षकों को सुग्राही बनाकर तथा वांछित सांस्कृतिक परिवर्तनों के द्वारा इन बाधाओं से उत्पन्न प्रतिरोधों का उन्मूलन आवश्यक है।

पाठ्यचर्या सम्बन्धी बाधाएँः– बोझिल पाठ्यचर्या तथा परीक्षोन्मुख शिक्षा पर अत्यधिक बल प्रायः शिक्षकों के लिए मानवाधिकार शिक्षा को प्रभावी ढंग से अपने शिक्षण में शामिल करने लिए उपलब्ध समय व स्थान को सीमित करता है। पाठ्यक्रम के साथ मानवाधिकार शिक्षा का संरेखण व पर्याप्त सहायक सामग्री को उपलब्ध कराकर इस चुनौती का समाधान किया जा सकता है।

मानवाधिकार जागरूकता को प्रोत्साहित करने हेतु शैक्षिक नीति के स्तर पर निम्न कार्यविधियों का प्रयोग सार्थक व उपयोगी हो सकता है–

शैक्षिक नीतियों के साथ मानवधिकारों का एकीकरणः– मानव अधिकारों को राष्ट्रीय व राज्य स्तर के शैक्षिक नीतियों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए तथा सभी स्तर व विषयों के कुरीकुलम फ्रेमवर्क में इसके समावेश को सुनिश्चित् किया जाना चाहिए।

शिक्षक प्रशिक्षण में मानवाधिकार शिक्षा को सम्मिलित करनाः– इसके अन्तर्गत एक ऐसा व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया जा सकता है, जो शिक्षकों मे मानवाधिकारों के प्रति आवश्यक ज्ञान, कौशल तथा शिक्षण रणनीतियों को निर्मित करने की क्षमता का विकास कर सके, जिससे कि शिक्षक शिक्षण अभ्यास में मानवाधिकार शिक्षा को प्रभावी ढंग एकीकृत करने में सक्षम हो सकें।

मानवाधिकार संगठनों के साथ सक्रिय सहभागिताः– राष्ट्रीय व स्थानीय मानवाधिकार संगठनों के साथ सक्रिय सहयोग व सहभागिता शिक्षकों में मानवाधिकारों से सम्बन्धित मुद्दों का ज्ञान व समझ को बढ़ा सकता है। इससे प्रासंगिक संसाधनों तक पहुँच तथा नेटवर्किंग की सुविधा भी प्राप्त हो सकती है।

मानव अधिकार जागरूकता के संवर्द्धन में शिक्षकों की भूमिकाः–

निम्नलिखित प्रकार की भूमिकाओं के निर्वहन के द्वारा शिक्षक मानवाधिकार जागरूकता को बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं–

कक्षा–कक्ष अनुदेशः– शिक्षकों के पास अवसर है कि वे सामाजिक विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र, साहित्य आदि जैसे विषयों के पाठ्यक्रम में मानवाधिकार शिक्षा के परिप्रेक्ष्य से सम्बन्धित विषयवस्तु को समाविष्ट करके शिक्षण कार्य कर सकते हैं, इसके मुख्य अवधारणाओं जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, गैर भेदभाव आदि पर चर्चा करके विद्यार्थियों को अपने अधिकारों व कर्तव्यों को समझने मे मदद कर सकते हैं।

समावेशी अधिगम पर्यावरण का निर्माणः– शिक्षक ऐसी समावेशी कक्षाओं का सृजन कर सकते हैं जिसमें विविधता का सम्मान व सहिष्णुता के प्रति आदर भाव हो। परस्पर सम्मान व समझ की संस्कृति का पोषण करके वे विद्यार्थियों को अपने विचार अभिव्यक्त करने, पूर्वाग्रहों को चुनौती देने तथा मानवाधिकारों से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर रचनात्मक संवाद की परिस्थिति पैदा कर सकते हैं।

उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करनाः– शिक्षक अपने स्वयं के व्यवहार में मानव अधिकारों से सम्बन्धित मूल्यों व सिद्धान्तों जैसे सभी विद्यार्थियों के साथ समान व सम्मानपूर्ण व्यवहार, निष्पक्षता को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय को समर्थन देना आदि को शामिल करके उनके लिए प्रेरणास्रोत व्यक्ति (त्वसम डवकमस) का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं।

पाठ्य सहचारी क्रियाओं का संगठनः– शिक्षक मानव अधिकार जागरूकता से जुड़े मुद्दों पर सामुहिक वाद–विवाद, नाटक, विचार संगोष्ठी, कार्यशलाओं तथा मानवाधिकार क्लबों व सामुदायिक परियाजनाओं जैसी पाठ्येत्तर गतिविधियों के आयोजन कर सकते हैं। इस प्रकार की पाठ्यसहगामी क्रिया–कलाप विद्यार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति ज्ञान, बोध तथा अनुग्रह का विकास कर सकती हैं।

शिक्षा की निम्नलिखित कार्यप्रणालियों द्वारा मानवाधिकार जागरूकता पर सार्थक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ सकता है–

व्यक्तियों का सशक्तीकरणः– शिक्षा व्यक्तियों के स्वयं अपने तथा दूसरों के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान, अवबोध व कौशल प्रदान कर व्यक्तियों का सशक्तीकरण करती है। जागरूक, सचेत् तथा सक्रिय नागरिक, जो मानवाधिकारों को कायम व अक्षुन्य रखने के लिए प्रतिबद्ध हों, के पोषण हेतु शिक्षक आवश्यक परामर्श, निर्देशन तथा सहायता प्रदान कर सकते हैं।

शिक्षा के द्वारा वांछित सामाजिक परिवर्तनः– शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही सामाजिक परिवर्तन में उत्प्रेरण का कार्य करने में समर्थ होते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को मानवधिकार जागरूकता से सम्बन्धित गतिविधियों तथा क्रिया–कलापों में पहल व सक्रिय भागीदारी तथा न्यायपूर्ण व समतामूलक समाज के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित कर सकते हैं। शिक्षा व्यक्तियों को व्यवस्थित अन्याय को चुनौती देने तथा उनके उन्मूलन की दिशा में कार्य करने के लिए आवश्यक क्षमताओं तथा उपकरणों से सज्जित करती है।

पूर्वाग्रह, भेदभाव व पक्षपात को चुनौतीः– विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा व्यक्तियों में आलोचात्मक चिंतन की क्षमता प्रदान कर भेदभाव तथा पक्षपातों को चुनैती देती है। शिक्षक मानवाधिकारों का हनन, भेदभाव, तथा व्यवस्थित व क्रमबद्ध असमानताओं पर परिचर्चा का अवसर प्रदान कर विद्यार्थियों को गम्भीर रूप से विश्लेषण व चुनौती देने के लिए अभिप्रेरित और प्रोत्साहित कर सकते है।

निष्कर्ष

मानवाधिकार शिक्षा एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया है जो स्वीकार्य मानव अधिकार संस्कृति के विकास हेतु आवश्यक ज्ञान, अवबोध, भाव, मूल्य तथा मानवाधिकार सम्बन्धी कौशल उत्पन्न करती है जिसके द्वारा मानवाधिकार संचेतना में अभिवृद्धि की जा सकती है। इस पुनीत कार्य में शिक्षा तथा शिक्षकों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। हाँलाकि मानवाधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने के मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार, नागरिक व सामाजिक संगठनों, शैक्षिक संस्थानों को सम्मिलित करते हुए एक बहुआमी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इस हेतु व्यापक मानवाधिकार शिक्षा, विधिक सुधार, सामुदायिक जुड़ाव व संवाद की आवश्यकता है ताकि एक ऐसे समाज का निर्माण किया जा सके जो अपने नागरिकों के मानवाधिकारों का समर्थन व सम्मान करे।

संदर्भ सूची

1. Shrama B. A Study of Teachers' Human rights Consciousness in reference to 'Human rights Education, International Journal of Early Chlidhood Special Education. 2022; 14(1):786-790, DOI:10.9790INT-JECSE/V14/1.221092
2. नाथ केदार (2016), मानवाधिकार व मीडिया य विश्लेषणात्मक अध्ययन, गोल्डेन रिसर्च थाट्स 1(1),1–5
3. कपूर ए0 (2019), मानवअधिकार, इलाहाबाद, सेंट्रल लॉ एजेंसी।
4. गजपाल एवं चौबे (2020), बी0 एड0 प्रशिक्षणार्थियों के मानवाधिकार के प्रति जागरूकता पर एक अध्ययन, इण्टरनेशनल जर्नल ऑव रिव्युज एण्ड रिसर्च इन सोशल साइंसेस, 8(4):242–250।
5. तिवारी ए0 (2019), मानवाधिकार एक संक्षिप्त जानकारी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिविवूज एंड रिसर्च इन सोशल साइंसेस 7(1)36–38।
6. पाण्डेय आर0एस0 (2001), शैक्षिक निबंध, आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर।
7. पाठक पी0डी0 (2010), भारतीय शिक्षा व उसकी समस्याएं, आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर।

8. बसु डी0डी0 (2001), भारत का संविधान एक परिचय, नई दिल्ली, लेक्सिस बटरवर्थ बाधवा।
9. यादव ए0 के0 (2018), विद्यार्थियों में मानवाधिकार जागरूकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च एंड डेव्लपमेंट, 3(2)653–657।
10. लाल एवं शर्मा (2011), भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास व समस्यायँ, मेरठ, आर0 लाल बुक डिपो।
11. शर्मा एम0 (2017), शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन, रिमार्किंग एंड एनलसिसन, 2(9),132–139।